नंद किशोर

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 437/2005)

7 जुलाई 2011

[डॉ.बी.एस. चौहान और स्वतंत्र कुमार, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि - सह-अभियुक्त से बकाया राशि की पीड़ित द्वारा वसूली को लेकर पक्षकारों के मध्य झगड़ा-सह-अभियुक्त ने पीड़ित को पकड़ लिया और मुख्य अभियुक्त ने उसमें छुरा/चाकू घोंप दिया, जबकि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने पीड़ित पर पथराव किया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई- धारा 302/34 के तहत तीन अभियुक्तगण की दोषसिद्धि और निचली अदालतों द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी-मुख्य अभियुक्त और सह-अभियुक्त के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील खारिज कर दी गई-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को चुनौती - यह अभिनिर्धारित किया गया कि यहाँ अपीलकर्ता के सम्बंध में, निश्चित दस्तावेजी, प्रत्यक्ष और चिकित्सीय साक्ष्य है और अपीलकर्ता की दलील कि उसे झूठा फँसाया गया, को खारिज करने के लिए बचाव पक्ष के गवाह का बयान, मुख्य आरोपी द्वारा प्रकट बयान के अनुसरण में चाकू बरामद किया गया था और पीड़ित के शरीर पर चाकू से चोटें पहुँचाई गई थी-कथित चश्मदीद गवाहों के कथनों के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य में विसगतियाँ अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करती है - तीनों आरोपियों का क्रूर

अपराध करने का सामान्य आशय था- इस प्रकार, अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप स्थापित करने में सक्षम रहा -अपीलकर्ता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

धारा 34 सामान्य आशय-धारा 34 के सामान्य सिद्धान्तों का लागू होना -व्याख्या की गई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़ित को 'एम' से कुछ रकम वसूलनी थी। जब पीड़ित 'एम' से उक्त रकम वसूलने गया, तो झगड़ा हो गया और 'एम' ने 'डी' और अपीलकर्ता-'एन' के साथ मिलकर पीड़ित को मार डाला। PW-1, शिकायतकर्ता ने देखा कि एम ने पीड़ित की बांहें पकड़ रखी थी और 'डी' उस पर चाकू के साथ वार कर रहा था और 'एन' उस पर पत्थर फेंक रहा था। बाद में पीड़ित ने चाेटाेंं के कारण दम तोड़ दिया। अनुसंधान किया गया। 'डी' की इत्तला पर एक चाकू बरामद किया गया और ईंटें और मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए। सत्र न्यायाधीश ने 'डी' को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया, जबकि 'एम' और अपीलकर्ता-'एन' को धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया और उनमें से प्रत्येक को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश बरकरार रखा. इसलिए, आरोपी ने सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने 'एम' और 'डी' द्वारा दायर विशेष

अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, इसलिए अपीलकर्ता ने तत्काल अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः-

1. तथ्यों के आधार पर, उक्त क्रूर अपराध को करने में तीनों आरोपियों का एक सामान्य आशय था। उनमें से प्रत्येक ने भाग लिया, हालांकि महत्वपूर्ण प्रहार 'डी' द्वारा किए गए थे, लेकिन 'एम' द्वारा मृतक की बांहें पकड़ लेने से शायद मौत को टाला जा सकता था। अपीलकर्ता ने कोई दया नहीं दिखाई और मृतक के जमीन पर गिर जाने पर भी उस पर पथराव जारी रखा। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप स्थापित करने में सक्षम रहा। [पैरा 16] [1168- ई- जी]

2.1. PW-1, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'डी' ने मृतक के शरीर पर चाकू से चोटें पहुॅचाई थी। अनुसंधान अधिकारी PW-8 एवं PW-2 के अनुसार बरामदगी के पंचनामा के द्वारा उक्त चाकू बरामद कर लिया गया। हालाँकि, PW1 ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि चाकू आरोपी के घर जाकर बरामद किया गया था। इन बयानों के बीच कुछ अंतर है, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई तात्विक विरोधाभास या विसंगति नहीं है, जिससे आरोपी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। PW1 ने अपनी परीक्षा में कहा कि 'डी' की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने पुलिस को उस चाकू के बारे में बताया था, जो

बरामद किया गया था। हालाँकि, उसने कहा कि 'समय बीत जाने के कारण उसे वह सटीक स्थान याद नहीं है, जहाँ से बरामदगी की गई थी।' तथापि, उसने निश्चितता के साथ कहा कि 'पंचनामा तैयार किया गया था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे।' अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि 'उसके सामने चाकू बरामद किया गया था, जब उसे कोतवाली में बुलाया गया था और उसने उस चाकू को कोतवाली में देखा था और 'डी' का बयान दर्ज होने से पहले ही चाकू बरामद कर लिया गया।' गवाह के इस साक्ष्य को PW 8 और PW 2 के बयान के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह पढ़ने पर आरोपी के घर से चाकू की बरामदगी स्थापित हो जाती है। डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर खरोंच और छोटे कट सहित विभिन्न चोटों का उल्लेख किया, जो जमीन पर गिरने के बाद भी अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर पथराव का परिणाम हो सकता है। [पैरा 9] [1162- डी- एच; 1163- ए- बी]

2.2. किसी बयान के साक्ष्यात्मक मूल्य को आम तौर पर उसके सही परिप्रेक्ष्य, संबंधित परिस्थितियों और उस संदर्भ में विवेचित किया जाना चाहिए, जिसमें बयान दिया गया था। जहाँ तक चाकू की बरामदगी के संबंध में कथित विसंगति का सम्बंध है, न्यायालय के लिए इस पहलू को अनुचित महत्व देना संभव नहीं है। न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी होती है और यह निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या उसका बयान विश्वास को प्रेरित करता है। "अतिशयोक्ति अपने आप में

साक्ष्य को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन यह अभियोजन मामले की विश्वसनीयता का परीक्षण करने वाले कारकों में से एक हो सकता है, जब संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए कड़ी परीक्षा में डाल दिया जाता है।" इसलिए, किसी गवाह के बयानों में केवल मामूली अंतर को सुधार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह गवाह द्वारा पहले दिए गए बयान का विस्तार हो सकता है। "अप्रासंगिक विवरण, जो किसी भी तरह से एक गवाह की विश्वसनीयता को ख़राब नहीं करते है, उन्हें लोप या विरोधाभास के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।" वे लोप, जो तात्विक विवरणों में विरोधाभास की तरह होते है, यानी, अभियोजन मामले के मूल एवं परीक्षण को तात्विक रूप से प्रभावित करते है, गवाह की गवाही को अविश्वसनीय बनाने के लिए उत्तरदायी होते है। चाकू 'डी' द्वारा दिए गए बयान के क्रम में बरामद किया गया था। PW 5 के द्वारा दी गयी चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार रिकवरी मेमो, कानून के अनुसार विधिवत साबित हुआ था और अनुसंधान अधिकारी, PW 8 के बयान से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चाकू 'डी' के घर से बरामद किया गया था और मृतक के शरीर पर चोटें चाकू से पहुॅचाई गई थी। इस प्रकार, इन कथित विसंगतियों से अभियुक्त को शायद ही कोई फायदा हो सकता है। [पैरा 9] [1163- सी- एच; 1164- ए- बी]

राज्य का प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और अन्य (2008) 17 एससीसी 587: 2008 (14) एससीआर 405; अरुमुगम

बनाम राज्य (2008) 15 एससीसी 590: 2008 (14) एससीआर 309; महेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 11 एससीसी 334: 2009 (2) एससीआर 1033 पर भरोसा किया गया।

2.3. गवाह 'आर' को छोड़ दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष को लगा कि वह अभियोजन पक्ष के मामले में पक्षद्रोही साक्षी होगा, लेकिन 'एस' से स्वयं आरोपी द्वारा अपने गवाह के रूप में पूछताछ की गई। एक बार जब बचाव पक्ष के गवाह के रूप में 'एस' की परीक्षा की गई, तो अपीलकर्ता की यह आपत्ति कि न्यायालय को इन गवाहों की परीक्षा न करने से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए, अपनी कानूनी सामग्री खो देती है। DW1, हालांकि बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित हुआ, उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के वकील द्वारा उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया, इसलिए अपराध के आरोपी को दोषी ठहराते समय सत्र न्यायाधीश द्वारा DW1 के बयान पर सही ढंग से भरोसा किया गया । DW1 के बयान ने PW1 के बयान की पूरी तरह से पुष्टि की है। उसने कहा कि उस मोहल्ले में लगभग 20 से 30 घर थे और उसने बचाव पक्ष के वकील द्वारा उसे दिए गए सुझाव से इंकार किया कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ भी नहीं देखा और वह घटना का गवाह नहीं था। उसने विशेष रूप से इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह मृतक के परिवार से संबंधित था। अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि 'एम' ने मृतक के दोनों हाथ पकड़ लिए थे

और 'डी' ने मृतक की छाती पर चाकू से वार किया था और 'एन' ने मृतक पर पथराव किया। उसने यह भी कहा कि वह मृतक को PW1 के साथ अस्पताल ले गया था। इस साक्ष्य के सामने, अपीलकर्ता शायद ही यह तर्क देने का प्रयास कर सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई निश्चित सबूत नहीं है। अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज करने के लिए कि 'उसे मामले में झूठा फसाया गया है', यहाॅ निश्चित रूप से दस्तावेजी, प्रत्यक्ष और चिकित्सीय साक्ष्य एवं स्वयं बचाव पक्ष के गवाह का बयान भी निश्चित रूप से मौजूद है। [पैरा 10] [1164- सी- एच; 1165- ए]

3.1. आई.पी.सी. की धारा 34 के तीन तत्व यह है कि आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है; यह कि ऐसा कार्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है; और यह कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो, यह निर्धारित करने में न्यायालय का मार्गदर्शन करेेंगे कि क्या किसी अभियुक्त को धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता है। जबकि पहले दो एेसे कार्य है, जो कारण है, और जिन्हें आरोपी के कार्यों के रूप में साबित किया जाना है, तीसरा परिणाम है। एक बार जब आपराधिक कृत्य और सामान्य आशय साबित हो जाते है, तो कानून की कल्पना से, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को करने का आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। आई.पी.सी. की धारा

34 के अनुसार आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। अनुभाग के इस भाग में जोर 'किया गया' शब्द पर है। इससे यही पता चलता है कि धारा 34 के प्रावधानों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कुछ किया होगा। आपराधिक कृत्य कारित करने में कुछ व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता होगी। धारा 34 की सहायता से आरोपित पूरे समूह के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त कार्य में भागीदार होना चाहिए, जो धारा 34 के तहत उनकी संयुक्त गतिविधि का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी उस आपराधिक कृत्य से जुड़ा होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपराध का गठन करता है, यानी, वह न केवल उस कार्य में भागीदार है, जिसे सामान्य कार्य के रूप में वर्णित किया गया है, बल्कि जिसे सामान्य आशय कहा जाता है, उसमें भी वह भागीदार है और इसलिए, इन दोनों मामलों में उसकी व्यक्तिगत भूमिका गंभीर खतरे में पड़ गई है, हालांकि यह व्यक्तिगत भूमिका एक सामान्य योजना का हिस्सा हो सकती है, जिसमें अन्य लोग भी उसके साथ शामिल हो गए है और समान या भिन्न भूमिका निभाई है। लेकिन सामान्य आशय का जिक्र करते हुए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि न्यायालयों को एक ओर 'सामान्य आशय' और दूसरी ओर आपराधिक न्यायशास्त्र में समझे जाने वाले 'अपराधिक आशय' के बीच बारीक अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य आशय अपराधिक आशय के समान या समान नहीं है। उत्तरार्द्ध पूर्व

के साथ सह- आकस्मिक या संपार्श्विक हो सकता है लेकिन वे विशिष्ट और अलग है। [पैरा 11] [1165- बी- एच; 1166- ए- ई]

3.2. धारा 34 सयुंक्त आपराधिक दायित्व से भी संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि जहाॅ एक आपराधिक कार्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। यदि समान आशय से आरोपित आपराधिक अपराध घटित होता है, तो समान आशय साझा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनमें से किसी एक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए सयुंक्त रूप से उत्तरदायी है। [पैरा 12] [1166- एफ- जी]

ब्रथी उर्फ सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (1991) 1 एससीसी 519: 1990 (2) सप्ल. एससीआर 503 का उल्लेख किया गया ।

3.3. ऐसे मामलों से निपटने के दौरान, सामान्य आशय या मस्तिष्क की स्थिति और भौतिक कार्य, दोनों ही एक स्थान पर हो सकते हैं और अनिवार्य रूप से इस तरह के अपराध को करने की किसी पूर्व-निर्धारित योजना का परिणाम नहीं हो सकते हैं। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जैसे कि तत्काल मामले में मृतक, बिल्कुल अकेला और निहत्था, 'एम' से पैसे मांगने गया लेकिन 'एम', 'डी' और अपीलकर्ता उनके घर के बाहर एकत्र हो गए जैसा कि गवाहों के बयान से

स्पष्ट है, वे न केवल आक्रामक हो गए बल्कि उन्होंने एक अपराध भी किया। इस हद तक चले गये कि उसके शरीर के अधिकांश महत्वपूर्ण हिस्सों पर बार- बार चाकू से वार किया गया, हृदय और फेफड़े दोनों को छेद दिया गया और साथ ही जब वह जमीन पर गिर गया तब भी उस पर पत्थर फेंके गए। लेकिन उनकी भागीदारी और मृतक को मारने की स्पष्ट मानसिकता के बिना, 'डी' शायद मृतक को मारने में सक्षम नहीं होता। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक पर आरोपित भूमिका, मृतक की हत्या के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य आशय और सामान्य भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक कृत्य मृतक 'एम' को मारने के सामान्य आशय से किया गया था। विचारण न्यायालय ने सही ध्यान दिया कि सभी आरोपी व्यक्ति रात के समय एक साथ आते है और सक्रिय भागीदारी के साथ इस तरह के गंभीर प्रहार और चोटें देते हैं, जो मृतक की हत्या करने के सामान्य आशय को दर्शाता है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 13] [1166- एच; 1167- ए- ई]

शिवलिंगप्पा कल्लायनप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 1994 सप. (3) एससीसी 235; जय भगवान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 102 संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

2008 (14) एससीआर 405	पर भरोसा।	पैरा 9
2008 (14) एससीआर 309	पर भरोसा।	पैरा 9
2009 (2) एससीआर 1033	पर भरोसा।	पैरा 9
1990 (2) सप्ल. एससीआर 503	उल्लेखित	पैरा 15
1994 सप्प. (3) एससीसी 235	उल्लेखित	पैरा 14
(1999) 3 एससीसी 102	उल्लेखित	पैरा 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या -437/ 2005 ।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर की ग्वालियर पीठ के 1999 की आपराधिक अपील संख्या 21 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 26.8.2004 से उत्पन्न।

टी.एन. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

विकास बंसल (विभा दत्ता मखीजा के लिये) प्रत्यर्थी की ओर से।

जस्टिस स्वतंत्र कुमार के द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर के 26 अगस्त, 2004 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, दतिया, मध्य प्रदेश के 30 दिसंबर, 1998 के फैसले की पुष्टि करते हुए

तीनों आरोपियों (यहाँ अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं) को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ 2,000/- रुपये के जुर्माने, व्यतिक्रम पर तीन वर्ष के कठोर कारावास का फैसला दिया गया ।

2. हमें ध्यान देना चाहिए कि 28 मई, 2005 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3, अर्थात् महेश ढीमर और दिनेश ढीमर के संबंध में विशेष अनुमति याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार, हमें वर्तमान अपील पर केवल अपीलकर्ता नंबर 1, अर्थात् नंद किशोर के संबंध में विचार करना है।

3. अपीलकर्ता नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपील के तहत फैसले पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि:

ए. अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। असल में, आरोपी की सजा को बरकरार रखने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। आगे तर्क दिया गया है कि इसके विपिरत कथित चश्मदीद गवाहों के बयानो के साथ-साथ चिकित्सीय साक्ष्य के बीच गंभीर विरोधाभास है। इस प्रकार, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने और परिणामस्वरूप बरी होने का हकदार था।

बी. किसी भी मामले में, अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा

302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि उसका अन्य आरोपियों के साथ कोई सामान्य आशय नहीं था। आगे यह भी कहा गया कि उसने न तो अपराध को कारित करने में भाग लिया और न ही उसके पास कोई हथियार था। साक्ष्यों को समग्र रूप से पढ़ने पर, आई.पी.सी. की धारा 34 की सामग्री संतुष्ट नहीं होती है और इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

4. इन तर्कों की योग्यता या अन्यथा की जाॅच करने के लिए, वर्तमान अपील को उत्पन्न करने वाले आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक होगा।

घटना 18 जून 1997 की रात्रि करीब 9-9.30 बजे क्रिश्चियन का पुरा, बांगड़ की हवेली की है।

आसपास के कुछ युवा लड़कों ने शिकायतकर्ता बृज किशोर बिदुआ,जिसकी बाद में PW1 के रूप में परीक्षा की गई, को सूचित किया कि महेश ढीमर के घर के पास मृतक महावीर और महेश ढीमर के बीच झगड़ा हुआ है। यह सूचना मिलते ही बृजकिशोर, सुनील बधौलिया के साथ भागते हुए क्रिश्चियन का पुरा गया , जहाॅ उन्होंने देखा कि महेश ढीमर ने महावीर की दोनों बांहें पकड़ रखी थी और दिनेश ढीमर उसके सीने में बायीं तरफ चाकू से वार कर रहा था और नंद किशोर भी उस पर पथराव

कर रहा था। ये चोटें लगने के बाद महावीर जमीन पर गिर पड़ा । गवाहों के अनुसार महावीर के गिरने के बाद भी नंदकिशोर उस पर पथराव करता रहा और फिर वे लोग घटनास्थल से भाग गये। बृज किशोर और सुनील अपने स्कूटर पर महावीर को अस्पताल ले गए, जहाॅ डॉक्टर ने उसकी जाॅच की और उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि महावीर को महेश ढीमर से कुछ बकाया पैसे वसूलना था और उन पैसों को वसूलने के लिए महावीर, महेश ढीमर के पास गया था, लेकिन झगड़ा हुआ और महावीर के किसी भी प्रतिरोध के बिना, तीनों आरोपियों ने पूर्व निर्दिष्ट तरीके से उसकी हत्या कर दी ।

उसी दिन रात करीब 10 बजे मृतक महावीर के भाई बृजकिशोर ने पुलिस थाना कोतवाली दतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाॅ आपराधिक मामला क्रमांक 175/97 धारा 302 सहपठित धारा 34 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया । इसका अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया, जिन्होंने अनुसंधान के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइट प्लान तैयार किया या तैयार कराया, दिनेश की इत्तला पर चाकू बरामद किया, ईंटें बरामद की, खून से सनी मिट्टी और मृतक के कपड़े का नमूना लिया। इन चीजों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। अनुसंधान पूरा कर सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। उन पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। सत्र न्यायाधीश, दतिया ने 30 दिसंबर, 1998 को एक विस्तृत और तर्कसंगत फैसले द्वारा,

आरोपी दिनेश को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्व किया , जबकि अन्य दो आरोपियों, नंद किशोर और महेश ढीमर को धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्व किया गया और उन्हें उपरोक्तानुसार सजा दी गयी। उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों द्वारा इस फैसले का असफल विरोध किया गया, जिसने दोषसिद्धि के फैसले या सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

5. न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों से असंतुष्ट होकर अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की।

6. PW1, बृज किशोर, डॉ. पी.के. श्रीवास्तव, PW5 और PW8, नरेंद्र सिंह, (अनुसंधान अधिकारी) के बयानों की कुछ विस्तार से जाॅंच की जानी है।

7. PW1 घटना का चश्मदीद गवाह है और उसने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन करते हुए कहा कि महेश ढीमर का घर घटना स्थल से लगभग 100 फीट दूर था। उसने उपरोक्त तथ्य बताए और कहा कि राजेंद्र और सुनील भी उनके पीछे-पीछे घटनास्थल पर पहुॅंचे थे और उन्होंने घटना देखी थी। वे मृतक को अस्पताल ले गए, जहाॅं उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस गवाह ने मृतक और अभियुक्त के बीच किसी दुश्मनी का उल्लेख नहीं किया। PW8 ने पूरे अनुसंधान, विभिन्न रिकवरी

मेमो के साथ-साथ एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी1) के पंजीकरण का भी उल्लेख किया है। PW1 का कथन प्रदर्श P1 की रिपोर्ट से पुष्ट होता है।

8. डॉ. पी.के. श्रीवास्तव, PW5, ने कहा कि 19 जून, 1997 को सुबह लगभग 7.00 बजे, उन्होंने मृतक के शव की जाॅच की थी और उसके शरीर पर छाती के बाईं ओर कटे हुए घाव थे, दाहिनी जांघ, हृदय में, बाएं फेफड़े में और 11-12 अन्य कटे हुए खरोंच और आंतरिक घाव आदि। उनके अनुसार, हृदय पर चोट लगने से मृत्यु हुई और मृतक की मृत्यु पोस्टमाॅर्टम परीक्षा से लगभग 10-14 घंटे पहले हुई थी।

9. दो मुख्य विसंगतियाॅ है, जिन्हें संदेह के लाभ का दावा करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से उजागर किया गया है। सबसे पहले तो यह कि डॉक्टर के मुताबिक मृतक के शरीर पर करीब 16 घाव थे, जबकि चश्मदीद गवाहों ने मृतक के बायीं ओर आरोपी दिनेश ढीमर द्वारा केवल दो वार करने की बात कही है और दूसरी बात यह कि चोटें केवल किसी धारदार हथियार से लगी बताई गई है। बृज किशोर (PW 1) ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिनेश ने मृतक के शरीर पर चाकू से चोटें पहुंचाई थी। जाॅच अधिकारी (PW8) और मुन्ना लाल (PW2) के अनुसार, बरामदगी के पंचनामा द्वारा उक्त चाकू बरामद किया गया (प्रदर्श पी-6)। हालाँकि, PW1 ने अदालत में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि चाकू आरोपी के घर जाकर बरामद किया गया था। इन बयानों के बीच कुछ अंतर है, लेकिन यह किसी

भी तरह से कोई तात्विक विरोधाभास या विसंगति नहीं है, जिससे आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा हुआ हो। इन तथाकथित विसंगतियों को आसानी से समझाया जा सकता है, जिसे अपील के तहत निर्णय में उचित रूप से निपटाया गया है। अपनी परीक्षा में, जिसमें PW1 ने कहा है कि दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें उस चाकू के बारे में बताया था, जो बरामद किया गया था। हालाँकि, उसने कहा कि समय बीत जाने के कारण उसे वह सटीक स्थान याद नहीं है, जहाँ से बरामदगी की गई थी। उसने फिर भी निश्चितता के साथ कहा कि एक पंचनामा तैयार किया गया था और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा, "वर्माजी द्वारा मुझे जब कोतवाली में बुलाया गया था, तब चाकू मेरे सामने बरामद किया गया था और मैंने वह चाकू कोतवाली में देखा था और चाकू दिनेश के बयान दर्ज होने से पहले ही बरामद कर लिया गया था।" इस गवाह की साक्ष्य PW8 और PW 2 के बयान के साथ पढ़ी जानी चाहिए। इस प्रकार पढ़ने पर आरोपी के घर से चाकू की बरामदगी प्रमाणित हो जाती है। इसके अलावा, डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर खरोंच और छोटे घावों सहित विभिन्न चोटों का उल्लेख किया है, जो जमीन पर गिरने के बाद भी नंद किशोर द्वारा मृतक पर पत्थर फेंकने का परिणाम हो सकता है। दूसरी कथित विसंगति के संबंध में विवाद को खारिज करते समय, यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायालय को गवाह के बयान की समग्र रूप से जाॅंच करनी होगी। किसी गवाह के

बयान में किसी वाक्य को सदंर्भ से बाहर केवल पढ़ने या उस पर भरोसा करते समय न्यायालय किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए सही स्थिति में नहीं हो सकता है। किसी बयान के साक्ष्यात्मक मूल्य को आम तौर पर उसके सही परिप्रेक्ष्य, संबंधित परिस्थितियों और उस संदर्भ में विवेचित किया जाना चाहिए, जिसमें बयान दिया गया था। जहाॅ तक चाकू की बरामदगी के संबंध में कथित विसंगति का सम्बंध है, तो न्यायालय के लिए इस पहलू को अनुचित महत्व देना संभव नहीं है। न्यायालय को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी होती है और यह निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या उसका बयान विश्वास को प्रेरित करता है। "अतिशयोक्ति अपने आप में साक्ष्य को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन यह अभियोजन मामले की विश्वसनीयता का परीक्षण करने वाले कारकों में से एक हो सकता है, जब संपूर्ण साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर परखने के लिए कड़ी परीक्षा में डाल दिया जाता है।" इसलिए, किसी गवाह के बयानों में केवल मामूली अंतर को सुधार नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यह गवाह द्वारा पहले दिए गए बयान का विस्तार हो सकता है। "अ्प्सि्र विवरण, जो किसी भी तरह से एक गवाह की विश्वसनीयता को ख़राब नहीं करते है, उन्हें लोप या विरोधाभास के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।" वे लोप, जो तात्विक विवरणों में विरोधाभास की तरह होते हैं, यानी, अभियोजन मामले के मूल एवं परीक्षण को तात्विक रूप से प्रभावित करते है, गवाह की गवाही को अविश्वसनीय

बनाने के लिए उत्तरदायी होते है। [देखिए: राज्य का प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और अन्य [(2008) 17 एससीसी 587], अरुमुगम बनाम राज्य [(2008) 15 एससीसी 590] और महेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2009) 11 एससीसी 334]। दिनेश ढीमर के द्वारा प्रकट बयान के क्रम में चाकू बरामद किया गया। रिकवरी मेमो, जो कि PW5 द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार कानून के अनुसार विधिवत साबित हुआ था और अनुसंधान अधिकारी, PW 8 के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चाकू दिनेश ढीमर के घर से बरामद किया गया था और उसके शरीर पर चोटें थी, वो मृतक पर चाकू से कारित की गई थी। इस प्रकार, इन कथित विसंगतियों से अभियुक्त को शायद ही कोई फायदा हो सकता है।

10. इस मामले का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में राजेंद्र और सुनील की परीक्षा नहीं की थी और बचाव पक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था कि अदालत को इन गवाहों की गैर-परीक्षा से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए। गवाह राजेंद्र को छोड़ दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष को लगा कि वह अभियोजन पक्ष के मामले में पक्षद्रोही होगा, लेकिन सुनील से ही अभियुक्त ने अपने गवाह के रूप में पूछताछ की। एक बार जब सुनील से बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई, तो अपीलकर्ता द्वारा की गई आपत्ति अपनी कानूनी सामग्री खो देती है।DW1,

हालांकि बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित हुआ, उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी के वकील द्वारा उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया गया। इसलिए, अपराध के आरोपी को दोषी ठहराते समय सत्र न्यायाधीश द्वारा DW1 के बयान पर सही ढंग से भरोसा किया जा सकता था और किया गया है। DW1 के बयान ने PW1 के बयान की पूरी तरह से पुष्टि की है। उसने कहा कि उस मोहल्ले में लगभग 20 से 30 घर थे और उसने बचाव पक्ष के वकील द्वारा उसे दिए गए सुझाव से इंकार किया कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कुछ भी नहीं देखा और वह घटना का गवाह नहीं था। उसने विशेष रूप से इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह मृतक के परिवार से संबंधित था। अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि महेश ढीमर ने मृतक के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और दिनेश ढीमर ने मृतक की छाती पर चाकू से वार किया था और नंद किशोर ने मृतक पर पथराव किया। अंत में, उसने यह भी कहा कि वह मृतक को PW1 के साथ अस्पताल ले गया था । इस साक्ष्य के सामने, अपीलकर्ता शायद ही यह तर्क देने का प्रयास कर सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई निश्चित सबूत नहीं है। अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज करने के लिए कि 'उसे मामले में झूठा फसाया गया है', निश्चित रूप से दस्तावेजी, प्रत्यक्ष और चिकित्सीय साक्ष्य एवं स्वयं बचाव पक्ष के गवाह का बयान भी निश्चित रूप से मौजूद है।

11. अब, हम जाॅच करेंगे कि अदालतों द्वारा धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ता की सजा कानून में संधारणीय है या नहीं। आई.पी.सी. की धारा 34 को लागू करने के लिए कोई भी ऐसा सख्त नियम बताना मुश्किल है, जिसे सभी मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सके। यह हमेशा दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या एक समान आशय से अपराध को अंजाम देने में शामिल व्यक्तियों को उनके द्वारा एक साथ किए गए मुख्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। सामान्य आशय वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए आपराधिक अपराध के मामलों से निपटने के दौरान आई.पी.सी. की धारा 34 के प्रावधान कानून की सहायता के लिए आते हैं। धारा 34 इस प्रकार है:

> "34. सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।--
>
> जब कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो।"

इस धारा को पढ़ने से पता चलता है कि इस धारा को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है:

(ए) आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है;

(बी) ऐसा कार्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है; और

(सी) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

दूसरे शब्दों में, ये तीन तत्व न्यायालय को यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या किसी अभियुक्त को धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराया जा सकता है। जबकि पहले दो एेसे कार्य है, जो कारण है, और जिन्हें आरोपी के कार्यों के रूप में साबित किया जाना है, तीसरा परिणाम है। एक बार जब आपराधिक कृत्य और सामान्य आशय साबित हो जाते हैं, तो कानून की कल्पना से, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को करने का आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। आई.पी.सी. की धारा 34 के अनुसार आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। अनुभाग के इस भाग में जोर 'किया गया' शब्द पर है। इससे यही पता चलता है कि धारा 34 के प्रावधानों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कुछ किया होगा। आपराधिक कृत्य कारित करने में कुछ व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता होगी। धारा 34 की सहायता से आरोपित पूरे समूह के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त कार्य में भागीदार होना चाहिए, जो धारा

34 के तहत उनकी संयुक्त गतिविधि का परिणाम है। प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी उस आपराधिक कृत्य से जुड़ा होता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपराध का गठन करता है, यानी, वह न केवल उस कार्य में भागीदार है, जिसे सामान्य कार्य के रूप में वर्णित किया गया है, बल्कि जिसे सामान्य आशय कहा जाता है, उसमें भी वह भागीदार है और इसलिए, इन दोनों मामलों में उसकी व्यक्तिगत भूमिका गंभीर खतरे में पड़ गई है, हालांकि यह व्यक्तिगत भूमिका एक सामान्य योजना का हिस्सा हो सकती है, जिसमें अन्य लोग भी उसके साथ शामिल हो गए है और समान या भिन्न भूमिका निभाई है। लेकिन सामान्य आशय का जिक्र करते हुए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि न्यायालयों को एक ओर 'सामान्य आशय' और दूसरी ओर आपराधिक न्यायशास्त्र में समझे जाने वाले 'अपराधिक आशय' के बीच बारीक अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य आशय अपराधिक आशय के समान या समान नहीं है। उत्तरार्द्ध पूर्व के साथ सह- आकस्मिक या संपार्श्विक हो सकता है लेकिन वे विशिष्ट और अलग है।

12. धारा 34 रचनात्मक आपराधिक दायित्व से भी संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि जहाॅ एक आपराधिक कार्य सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है, जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया हो । यदि सामान्य आशय से आरोपित

अपराध घटित होता है, तो सामान्य आशय साझा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनमें से किसी एक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी है। {ब्रथी उर्फ सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1991) 1 एससीसी 519]} का हवाला दिया ।

13. एक अन्य पहलू जिसे न्यायालय को ऐसे मामलों से निपटते समय ध्यान में रखना होगा, वह यह है कि सामान्य अाशय या मन की स्थिति और भौतिक कार्य, दोनों एक स्थान पर हो सकते है और अनिवार्य रूप से किसी भी पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम नहीं हो सकते है। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जैसे कि वर्तमान मामले में, महावीर अकेले और निहत्थे, महेश से पैसे मांगने गया लेकिन महेश, दिनेश और नंद किशोर उनके घर के बाहर एकत्र हो गए और जैसा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट है, वे न केवल आक्रामक हो गए बल्कि अपराध भी किया और इस हद तक चले गए कि उसके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर बार-बार चाकू से वार किया, दिल और फेफड़े दोनों को छेद दिया और साथ ही जब वह जमीन पर गिर गया, तब भी उस पर पत्थर फेंके। लेकिन उनकी भागीदारी और मृतक को मारने की स्पष्ट मानसिकता के बिना, दिनेश शायद महावीर को मारने में सक्षम नहीं होता। इस प्रकार, उनमें से प्रत्येक पर आरोपित भूमिका, मृतक की हत्या के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य आशय और सामान्य भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक कृत्य मृतक

महावीर की हत्या के सामान्य आशय से किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में सही कहा है कि सभी आरोपी व्यक्तियों का रात के समय एक साथ आना और सक्रिय भागीदारी के साथ इस तरह के गंभीर मारपीट और चोटें देना, मृतक की हत्या करने के सामान्य आशय को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

14. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने शिवलिंगप्पा कल्लायनप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य [1994 सप्ल. (3) एससीसी 235] में इस न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि वे आई.पी.सी. की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत अपराध के लिए आरोपित या दोषसिद्ध नहीं हो सकते है। उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय में उचित रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका पर विचार किया था और यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि हत्या करने के लिए आरोपी की ओर से कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। उस मामले में, न्यायालय मुख्य रूप से आई.पी.सी. की धारा 149 के दायरे में आने वाले सामान्य उद्देश्य से संबंधित थी । वास्तव में, इस न्यायालय के पूर्व संदर्भित निर्णय में आई.पी.सी. की धारा 34 का उल्लेख तक नहीं किया गया है।

15. एक अन्य मामला, जिस पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया, वह जय भगवान और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [(1999) 3 एससीसी 102] है। उस मामले में भी, न्यायालय ने आई.पी.सी. की धारा 34 के दायरे पर चर्चा की और माना कि अपराध करने में आरोपी का सामान्य आशय और भागीदारी वे घटक हैं, जिन्हें धारा 34 आई.पी.सी. की सहायता से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "10. आई.पी.सी. की धारा 34 को लागू करने के लिए इस तथ्य के अलावा कि दो या दो से अधिक आरोपी होने चाहिए, दो कारक स्थापित होने चाहिए:
>
> (i) सामान्य आशय और (ii) किसी अपराध में अभियुक्त की भागीदारी। यदि एक सामान्य आशय साबित हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष कार्य के लिए केवल एक आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तो धारा 34 लागू होगी क्योंकि अनिवार्य रूप से इसमें संयुक्त दायित्व शामिल है, लेकिन यदि अपराध में आरोपी की भागीदारी साबित हो जाती है और एक सामान्य आशय अनुपस्थित है, तो धारा 34 नहीं लगाई जा सकती है । हर मामले में, एक सामान्य आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण होना संभव नहीं है, इसका

अनुमान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए ।"

16. उपरोक्त सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में जांचे गए वर्तमान मामले के तथ्य हमारे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ते है कि इस क्रूर अपराध को अंजाम देने में तीनों आरोपियों का एक सामान्य आशय था। उनमें से प्रत्येक ने भाग लिया, हालांकि महत्वपूर्ण प्रहार दिनेश ढीमर द्वारा किए गए थे, लेकिन महेश द्वारा मृतक का हाथ नहीं पकड़ लेने से शायद मौत को टाला जा सकता था। नंद किशोर ने कोई दया नहीं दिखाई और मृतक के जमीन पर गिर जाने के बाद भी उस पर पत्थर मारना जारी रखा। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप स्थापित करने में सफल हुआ है।

17. निचली न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसले किसी भी कानूनन कमी या साक्ष्य की विवेचना से ग्रस्त नहीं है। अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे खारिज करते है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती दीपा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।